

प्रकरण संख्या :-35 / 2024

प्रकरण दायर दिनांक:- 15.03.2024

प्रकरण निर्णय दिनांक:- 09.04.2024

सरकार बनाम अभयसिंह वगै.

राजस्व ग्राम नॉगलझामरवाडा स्थित खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत।

तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक: राजस्व/2024/237 दिनांक: 14.03.2024 द्वारा राजस्व ग्राम नॉगलझामरवाडा स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 652 में से प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत प्रस्ताव पेश किया गया है। प्रस्ताव की तार्इद में भू.अ. निरीक्षक बिवाई एवं पटवारी हल्का नॉगलझामरवाडा मौका पर्चा दिनांक: 11.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी संवत 2073-76 ग्राम नॉगलझामरवाडा खाता सं. नया 03 पुराना 03, संलग्न नक्शा ट्रेस जिसमें प्रस्तावित रास्ते को प्रदर्शित किया गया है, प्रस्तुत की है। उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज रिकार्ड है।

प्राप्त प्रस्ताव दर्ज कर तलबी अप्रार्थीगण/खातेदारान जर्जे नोटिस विधिवत की गई। अप्रार्थीगण/खातेदारान बावजूद तामील उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण/खातेदारान के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। हमने प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्रार्थी/पैरोकार सरकार को एकपक्षीय सुना। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं संलग्न भू.अ. निरीक्षक बिवाई एवं पटवारी हल्का नॉगलझामरवाडा मौका पर्चा दिनांक: 11.03.24, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया। प्रस्ताव में संलग्न मौका पर्चा के अनुसार प्रस्तावित भूमि में मौके पर सडक बनी हुई है। प्रस्ताव में उक्त खातेदारी भूमि में से गै. मु. रास्ता दर्ज करने बाबत निवेदन किया है। अतः प्राप्त प्रस्ताव, संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा ट्रेस के अवलोकन के आधार पर प्रस्तावित रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर राजस्व ग्राम नॉगलझामरवाडा स्थित खातेदारी भूमि खाता सं. नया 03 पुराना 03 के खसरा नं. 652 रकबा 0.05 हैक्ट. में से 0.05 हैक्ट. भूमि संलग्न नक्शा ट्रेस में प्रदर्शित प्रस्तावित के अनुसार गै. मु. रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रस्तावित रास्ते की खातेदारी उक्त खाते में यथावत रहेगी। तहसीलदार बांदीकुई नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामसिंह राजावल
(रामसिंह राजावल)

आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी



FORM No. III

फर्द अहकाम (नियम 26)

जज अदालत

कलेक्टर

मुकाम

बांदीकुई

बनाम

अमर्षिंद व अम

किरम मुकदमा

सरकार
131 लॉस डिफेंड रोलम

35 तन 2024

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

15/04/24
तहसीलदार बांदीकुई द्वारा मुझे पर चालू रास्ते
को शपथ रिकार्ड में दर्ज करने हेतु उत्तर
पत्र लिखा। उवरण धर्म रजिस्टर कर तलबी
अप्रामाणिक स्वतंत्रताग्न नोटिस की जाकर
पनावली दि 9/4/24 को पत्र हो।

AM

उपखण्ड अधिकारी

9/04/24 पनावली पत्र हुई। जामी पराकार सरकार
अपना अप्रामाणिक स्वतंत्रताग्न तलबी नोटिस
को तामील प्राप्त। स्वतंत्रताग्न अप्रामाणिक नहीं
अप्रामाणिक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की
जाती है। उत्तर उत्तर पर जामी पराकार
सरकार को एकपक्षीय हुकम। तहसीलदार बांदीकुई
द्वारा उत्तर उत्तर एवं संलग्न दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। मुलाविजु गैर रिपोर्ट में
पर संडक बनी हुई है। उस्ताबित रास्ते अप्रामाणिक
रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः तहसीलदार बांदीकुई
द्वारा उत्तर उत्तर एवं संलग्न दस्तावेजों
के अवलोकन के आधार पर उस्ताबित रास्ते को
शपथ रिकार्ड में दर्ज किए जाने के आदेश
दिये जाते हैं। उस्ताबित रास्ते की स्वतंत्रता
उक्त खात में प्रभावत रहेगी। विस्तृत निवेदन
पुस्तक से लिखा जाकर अपील पनावली किया गया
पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी है।

AM अधिकारी
बांदीकुई

गादीका
दिवस

दिवस या कार्यवाही मय इतिशिवत्स नज

नकस
अदिका
दिवस की
में जारी है

कारकी कालयुगार होकर काउ लकमी
गादीका दिवस है।

अमृत गायत्री

उपखण्ड अधिकारी
बांदाकुई

